कार्यालय

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत

पत्रांक सं0:– ल0ब0शा0 / परीक्षा / 2025–26 / 483 दिनांक–27 / 05 / 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025 की **प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा** परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक–05 / 06 / 2025 को अपराहन 02:00 बजे लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय से विधिपूर्वक घोषित किया जाएगा। परीक्षाफल को **लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद www.lbspstc.com** की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

विशेष दिशानिर्देश:–

1. परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त यदि किसी परीक्षार्थी को आपत्ति हो तो वह **दिनांक–20 / 06 / 2025** तक पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है।

2. किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जी प्रमाण–पत्र अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग पर परिषद विधिसम्मत कार्यवाही हेतु बाध्य होगी।

3. परिणाम केवल परिषद की वेबसाइट **www.lbspstc.com** पर ही मान्य होगा; अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त सूचना अमान्य मानी जायेगी।

4. अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने रोल नं0, नाम, पाठ्यक्रम, प्राप्तांक आदि की पुष्टि स्वयं करें, त्रूटि की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे यदि **दिनांक–20 / 06 / 2025** की समयसीमा के भीतर आवेदन नही किया गया।

5. परीक्षा परिणाम जारी होने के **पश्चात् 45 कार्य दिवसों** के भीतर प्रमाण–पत्र व अंक–पत्र सम्बन्धित संस्थान को प्रेषित किये जायेंगे विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नही होगी यदि छात्र द्वारा आवश्यक विवरण त्रूटिपूर्ण हों।

6. परीक्षार्थी एवं संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेज विवरण वास्तविक एवं विधिसम्मत हों–

- झूठा दस्तावेज देना अथवा फर्जी प्रमाण–पत्र देना **भारतीय न्याय संहिता (बी0एन0एस0) की धारा–83, जालसाजी–95, कूट रचना का प्रयोग–196** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। ऐसा कोई भी कृत्य पाये जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु परिषद बाध्य होगी तथा ऐसे परीक्षार्थी का पंजीकरण पूर्ण रूप से निरस्त करके परिषद से आजीवन के लिए निष्काषित कर दिया जायेगा।

7. परीक्षार्थी परिषद से मूल्यांकन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी वैधानिक जानकारी नियत समयसीमा में लिखित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

- **बी0एन0एस0एस0 की धारा–173** के अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट संरक्षित रखेगी जो मांगने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।
- **बी0एन0एस0एस0 की धारा–180** के अनुसार सूचना गलत रूप में प्रस्तुत करने पर कार्यवाही हो सकती है।

8. परिषद की समस्त परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा प्रकाशन एवं प्रमाण–पत्र निर्गमन की प्रक्रिया **भारतीय न्याय संहिता, 2023(बी0एन0एस0) की धारा–51, 64 और 76** में उल्लेखित सिद्धान्तों के अनुरूप निष्पादित की जाती है जिसमें निष्पक्षता पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त सर्वोपरी हैं।

9. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा–65बी** के अनुसार परिषद द्वारा प्रकाशित इलेक्ट्रोनिक रूप (पी0डी0एफ0) में उपलब्ध परीक्षा परिणाम **वैध साक्ष्य** के रूप में ग्राहा होगा।

❖ न्यायिक अनुकरणीयता के उदाहरणः–

1. Mohinder Singh Gill v/s Chief Election Commissioner

Citation: (1978) 1 SCC 405

मुख्य बिंदूः–

न्यायालय ने कहा कि "प्रशासनिक निर्णयों को प्रक्रियात्मक न्याय, पारदर्शिता और समानता के मानकों पर खरा उतरना चाहिए।"

यह निर्णय शैक्षणिक परिणाम घोषित करते समय पारदर्शिता एवं प्रक्रिया के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2. Union of India v/s Tulsiram Patel

Citation: (1985)3 SCC 398

मुख्य बिंदुः–

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) को सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों में लागू होना आवश्यक माना गया, जब तक कि विशेष कानून में इसे रोका न गया हो।

यह विशेष रूप से मूल्यांकन या परिणाम रद्द करने जैसी स्थिति में लागू होता है।

3. K.S. Puttaswamy v/s Union of India (Right to Privacy Case)

Citation: (2017) 10 SCC 1

मुख्य बिंदुः–

शिक्षा और परीक्षा परिणाम से संबंधित व्यक्तिगत डेटा पारदर्शिता और निजता दोनों के संतुलन पर आधारित होना चाहिए।

4. Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education v/s Paritosh Bhupeshkumar Sheth

Citation: (1984)4 SCC 27

मुख्य बिंदुः–

न्यायालय ने कहा कि बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों को अंतिम माना जाएगा, जब तक कि प्रक्रिया में कोई स्पष्ट त्रुटि सिद्ध न हो। परन्तु न्यायालय ने मूल्यांकन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की प्राथमिकता को भी स्वीकार किया।

5- State of U.P v/s Johri Mal

Citation: (2004)4 SCC 714

मुख्य बिंदुः–

"भरोसे की शक्ति पारदर्शिता से आती है।" यह कथन प्रशासनिक संस्थाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, विशेषकर परीक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में।

6- State of Maharashtra v/s Dr. Praful B- Desai

Citation: (2003)4 SCC 601

मुख्य बिंदुः–

इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड (Electronic Records) को वैध साक्ष्य माना गया, जिससे डिजिटल परिणामों की वैधता प्रमाणित होती है।

7. Rajesh Awasthi v/s Nand Lal Jaiswal & Ors.

Citation: (2013)1 SCC 501

मुख्य बिंदुः–

"Administrative fairness और objectivity शैक्षणिक प्रक्रिया की आत्मा है।"

8. Central Board of Secondary Education & Anr- v/s Aditya Bandopadhyay & Ors-

Citation: (2011)8 SCC 497

मुख्य बिंदुः–

उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण छात्रों का अधिकार है। यह निर्णय पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि परिषद द्वारा आयोजित एलाईड हैल्थ केयर डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र स्तरीय वार्षिक परीक्षा का परिणाम दिनांक–05/06/2025 को विधिसम्मत रूप से परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

भवदीय्

श्रीमती आकांशा चौधरी
(अध्यक्ष)
परीक्षा समिति

पत्रांक सं0:– ल0ब0शा0/विधिक/2025–26/483 **तद्दिनांक–**

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. माननीय् अध्यक्ष महोदय् लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद्
2. माननीय् महासचिव महोदय् लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद्
3. माननीय् रजिस्ट्रार महोदय् लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद्
4. सम्पादक/प्रसार व्यवस्थापक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को जनहित में अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें।
5. गार्ड फाईल

श्रीमती आकांशा चौधरी
(अध्यक्ष)
परीक्षा समिति